निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 317) पटना, सोमवार, 11 अप्रील 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 मार्च 2016

सं० 22/नि0 सि0 (गया)–24–03/2015/489––श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिह (आई0 डी0–3320), कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, गया द्वारा गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड में अवस्थित लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र एवं लीलाजन मुख्य नहर के 0.00 कि0 मी0 से 27.58 कि0 मी0 (905 चेन) तक कराए गए तल सफाई कार्य में बरती गई अनियमितता से संबंधित माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव के माध्यम से प्राप्त परिवाद की जॉच उड़नदस्ता से कराई गई। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की कंडिका 8.8.0 के आलोक में पाया गया कि उनके द्वारा मापी पुस्त की जॉच नहीं की गई है अर्थात उक्त कार्य का निष्पादन नियमानुसार नहीं किया गया है।

उक्त बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 2193 दिनांक 28.09.15 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनके पत्रांक 960 दिनांक 21.11.15 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब में निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गयाः–

1. लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र का प्रीलेवल बुक की जॉच 16.01.15 एवं मापीपुस्त 2928 में कॉपी किए गए प्रीलेवल की जॉच दिनांक 25.01.15 को किया गया है।

2. लीलाजन मुख्य नहर का प्रीलेवल बुक की जॉच 17.01.15, 20.01.15 एवं 27.01.15 को तथा मापीपुस्त 2928 में कॉपी किए गए प्रीलेवल की जॉच 22.01.15 को किया गया है।

3. उक्त कार्यो के प्रीलेवल की जॉच असम्बद्व प्रमण्डल, जल पथ प्रमण्डल, घोषी द्वारा किया गया है।

4. लीलाजन मुख्य नहर के चेन 0 से 580 तक पोस्ट लेवल की जॉच पोस्ट लेवल बुक में 31.03.15 एवं 30.04.15 को किया गया।

5. लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र का पोस्ट लेवल की जॉच पोस्ट लेवल बुक में 31.03.15 एवं 30.04.15 को किया गया।

6. लीलाजन मुख्य नहर के चेन 0 से 580 तक मापीपुस्त 2929 में कॉपी किए गए पोस्ट लेवल की जॉच 19.02.15, 20.02.15 एवं 21.02.15 को की गई एवं मापीपुस्त 2932 में चेन 580 से 905 तक कॉपी किए गए पोस्ट लेवल की जॉच 11.03.15 को किया गया।

7. लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र का मापीपुस्त 2940 में कॉपी किए गए पोस्ट लेवल की जॉच 31.03.15 एवं 30.04.15 को किया गया।

8. लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र एवं लीलाजन मुख्य नहर के तल सफाई कार्य में मापीपुस्त की जॉच उनके (श्री सिंह) द्वारा की गई है।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि प्रश्नगत लीलाजन वीयर के अपस्ट्रीम पौंडिंग क्षेत्र एवं लीलाजन मुख्य नहर (0 से 27.58 कि0 मी0) का तल सफाई कार्य मुख्यतः मिट्टी कार्य है जिसका बोध स्वीकृत प्राक्कलन से होता हैं श्री सिंह का कहना है कि प्रीलेवल एवं पोस्ट लेवल की जॉच उनके द्वारा विभिन्न तिथियों को लेवल पंजी एवं मापीपुस्त में कॉपी किए गए उस लेवल की जॉच की गई है। साथ ही संबंधित लेवल पंजी एवं मापीपुस्त परिशिष्ट–1 से 8 साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है।

लेवल पंजी में प्री लेवल की प्रविष्टि दिनांक 16.01.15 से 29.01.15 की अवधि में कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से की गई। इससे विदित होता है कि श्री सिंह द्वारा नहर के 136 चेन पर 17.01.15 को जॉच किया गया है। साथ ही 255–335 चेन एवं 633–723 चेन के प्रीलेवल के अन्तिम पृष्ठ पर क्रमशः 20.01.15 एवं 27.01.15 को Checked & Signed किया गया है। पौंडिंग क्षेत्र के विभिन्न बिन्दुओं पर लिए गए लेवल के अंतिम पृष्ठ पर मात्र हस्ताक्षर किया गया है। उक्त से श्री सिंह द्वारा प्रीलेवल की जॉच बिहार लोक लेखा संहिता के नियम 232 जिसके अनुसार कार्यपालक अभियन्ता प्रत्येक एकरारनामा के 10 प्रतिशत संख्या एवं राशि के अनुसार आवश्यक चेक करें के तहत जॉचित माना जा सकता है।

लेवल पंजी में पोस्ट लेवल विभिन्न तिथ्यिों में कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रविष्टि की गई है। श्री सिंह द्वारा पौंडिंग क्षेत्र के 60 एम0 से 450 एम0 के लिए अंकित लेवल की जॉच 31.03.15 एवं 30.04.15 को किया गया है एवं लीलाजन मुख्य नहर का पोस्ट लेवल पंजी में तिथिवार मात्र हस्ताक्षरित है। उक्त से लोक लेखा संहिता के नियम 232 के तहत पोस्ट लेवल जॉचित होने का बोध नहीं होता हे। चूँकि श्री सिंह द्वारा अपने बयान में संयुक्त रूप से पोस्ट लेवल लिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। विपत्रों के लिए इसी पोस्ट लेवल का उपयोग किया गया हे। विपत्र में भी लेवल की जॉच नहीं किया जाना प्रतीत होता है। यद्यपि पोस्ट लेवल पंजी से मापीपुस्त में कॉपी किए गए लेवल की अंतिम पृष्ठ पर तिथिवार श्री सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से लेवल के लिए वे जवाबदेह होते है परन्तु बिहार लोक लेखा संहिता के नियम 232 के तहत 10 प्रतिशत जॉच नहीं किए जाने से कमी का बोध होता है। इस प्रकार श्री सिंह मापीपुस्त में दर्ज मापी की जॉच नहीं करने के लिए दोषी है।

उड़नदस्ता जॉच में सम्पादित मिट्टी की मात्रा एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। जॉचित मात्रा सम्पादित मात्रा के अनुरूप पाया गया है। अतः वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं बनता है परन्तु प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिह, कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, गया दोषी है जिसके लिए सरकार के स्तर से उन्हें ''लिखित चेतावनी'' देने का निर्णय लिया गया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिह (आई0 डी0–3320), जल पथ प्रमण्डल, गया को उक्त वर्णित आरोप के लिए ''लिखित चेतावनी'' संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्यामानन्द झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 317-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in